



मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 (पौष 3, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:02 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. अध्यक्षीय व्यवस्था

प्रश्नकाल में मौखिक उल्लेख की अनुमति न होना

(1) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य ने उल्लेख किया गया कि – भोपाल नगर निगम द्वारा बनाये गये नया बसेरा फुल हो गये हैं जिसके कारण अत्यधिक ठंड में हजारों लोग सड़कों पर सो रहे हैं. इनके लिये सरकार को समुचित व्यवस्था करना चाहिए.

(2) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य ने उल्लेख किया गया कि – माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट में आदिवासियों के लिए मात्र 400 रुपये का प्रावधान किया गया है.

आसंदी द्वारा माननीय सदस्यगण से अपनी बात को प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में उठाने का अनुरोध किया गया.

2. स्वागत उल्लेख

अध्यक्ष महोदय एवं श्री विश्वास सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री द्वारा सदन की अध्यक्षीय दीर्घा में श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, नवर्वाचित सांसद खण्डवा की उपस्थिति सम्बन्धी स्वागत उल्लेख किया गया.

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 1 प्रश्न (प्रश्न संख्या 1) पर अनुपूरक प्रश्न पूछा गया तथा उसका उत्तर दिया गया. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 136 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 145 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

4. अध्यक्षीय व्यवस्था

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा प्रश्नकाल को बाधित किये जाने से व्यवधान गर्भगृह प्रवेश एवं धरने के कारण कार्यवाही स्थगित की जाना

प्रश्नकाल में कांग्रेस पक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा निरन्तर व्यवधान के कारण कार्यवाही बाधित होने पर आसंदी ने माननीय सदस्यों से अनुरोध किया कि आप को अपनी बात बजट की चर्चा के समय करनी चाहिए थी लेकिन तब आपने अपनी बात नहीं कही. मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण काल होता है और आज भी प्रश्न संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22 और 25 में कांग्रेस साथियों के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपने अपनी जनता की समस्याओं के लिये लगाये हैं, लेकिन आप उन पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं. आप अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं की चिन्ता कीजिए. आसंदी के बार-बार अनुरोध करने के बावजूद कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा लगातार बोलने एवं व्यवधान करने के कारण पूर्वाह्न 11.15 बजे सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल की समाप्ति तक के लिए स्थगित की जाकर पुनः 12.04 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

श्री ओमकार सिंह मरकाम एवं श्री बाला बच्चन, सदस्यगण द्वारा उल्लेख किया गया कि - इस अनुपूरक बजट में आदिवासियों के लिए मात्र 400 रुपये का प्रावधान कर आदिवासियों का अपमान किया है और अगर बजट पर पूर्ण चर्चा होती तो हम सभी सदस्य यह बात उठाते.

डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए आसंदी से अनुरोध किया कि विपक्ष द्वारा प्रश्नकाल बाधित न करने के संबंध में अध्यक्षीय व्यवस्था आनी चाहिए.

आसंदी द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि कांग्रेस पक्ष के लोगों के ज्यादा प्रश्न लगे होने और मैं उनको बैठने का कहने के बाद भी बैठ नहीं रहे थे, यह शायद ठीक नहीं है. जिससे मुझे दुख हुआ है, इससे क्षुब्ध हूँ.

इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यगण आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्य हेतु अनुपूरक बजट में पर्याप्त राशि न दिये जाने के विरोध में गर्भगृह में प्रवेश किया एवं धरने पर बैठ गये.

दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित शेष विषयों पर बिना चर्चा सदन की कार्यवाही व्यवधान के मध्य निरंतर जारी रही.

5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि नियम 267-क अधीन लंबित सूचनाओं में से 34 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है. यह सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेगी. इन सभी सूचनाओं को उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेजा जायेगा. तदनुसार -

- (1) डॉ.सतीश सिकरवार, सदस्य की ग्वालियर स्थित जयारोग्य अस्पताल से आक्सीजन सिलेण्डर एवं दवाओं का गुम होने,
- (2) श्री आरिफ अकील, सदस्य की राजधानी भोपाल एवं उपनगर बैरागढ़ में दिन प्रतिदिन बढ़ते डेंगू के प्रकोप होने,
- (3) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य की रायसेन जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत स्वीकृत सड़कों में वनभूमि आने एवं वनविभाग द्वारा अनुमति नहीं दिये जाने से सड़क निर्माण कार्य प्रभावित होने,
- (4) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की रायसेन जिले में पंचायती राज संचालनालय एवं जिला पंचायत अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के चलते विकास कार्यों अवरूद्ध होने,
- (5) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की नरियावली विधानसभा सहित सागर जिले में चल रही शीतलहर से फसल बर्बाद होने,
- (6) श्री महेश परमार, सदस्य की उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में शामिल होने वालों से शुल्क वसूले जाने,
- (7) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य की छिंदवाड़ा जिले की सौसर वि.स.क्षेत्र के ग्राम ईकल बिहरी में पक्की सड़क बनाये जाने,
- (8) श्री रविन्द्र सिंह तोमर, सदस्य की विधानसभा क्षेत्र दिमनी के किसानों की बाजरे की फसल MSP पर न खरीदे जाने,
- (9) श्री संजय यादव, सदस्य की बाल विकास परियोजना का कार्यालय जबलपुर से बरगी स्थानांतरण किये जाने,
- (10) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की इटारसी नगर पालिका भवन को तोड़कर बी.ओ.टी. काम्प्लेक्स बनाने की योजना बंद होने,
- (11) श्रीमती कृष्णा गौर, सदस्य की भोपाल स्थित भेल कारखाने एवं उसकी टाउनशिप की सड़कों का डामरीकरण कराये जाने,
- (12) श्री देवेन्द्र वर्मा, सदस्य की खण्डवा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने,
- (13) श्री अजय कुमार टंडन, सदस्य की प्रदेश में दो वर्षों से स्कूली छात्र-छात्राओं को सायकिल वितरण न होने,
- (14) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की गांव राजोद तहसील सरदारपुर स्थित भूमि को भू-माफियों द्वारा बेचे जाने,
- (15) श्री प्रदीप पटेल, सदस्य की शिवपुरी जिले की पोहरी सरकुला सिंचाई परियोजना में ठेकेदार द्वारा विलंब किये जाने,
- (16) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय, सदस्य की गैसाबाद विकासखण्ड हटा में इंडिया सीमेंट कम्पनी को शीघ्र प्रारंभ किये जाने,
- (17) श्री सुरेश राजे, सदस्य की डबरा स्थित सड़क परिवहन निगम डिपो की भूमि पर शासकीय कन्या महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने,
- (18) श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य की शासकीय कृषि महाविद्यालय रीवा में निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों की उपेक्षा किये जाने,
- (19) श्री कुणाल चौधरी, सदस्य की आधुनिक गृह निर्माण संस्था बरखेड़ी कलां भोपाल के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा अनियमितताएं किये जाने,
- (20) श्री श्यामलाल द्विवेदी, सदस्य की रीवा जिले की तहसील हुजूर स्थित शासकीय हेण्डपंप के आस-पास अतिक्रमण किये जाने,

- (21) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार, सदस्य की जौरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छेडिया व सुनानगढी के बीच अटार पुल का निर्माण किये जाने,
- (22) श्री बहादुरसिंह चौहान, सदस्य की महिदपुर वि.स. क्षेत्र में केशर मालिको के पट्टे की जांच न किये जाने,
- (23) श्री आशीष गोविन्द शर्मा, सदस्य की देवास जिले की खातेगांव कन्नौद एवं सत्वास तहसील में काला मृग हेतु वन विभाग द्वारा पानी की व्यवस्था किये जाने,
- (24) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चयनित छात्र-छात्राओं को पद न दिये जाने,
- (25) श्री निलय विनोद डागा, सदस्य की भसौदा नगर मे विवाह समारोह में हुई हत्या के आरोपियों पर कार्यवाही न होने,
- (26) श्री तरुण भनोत, सदस्य की एम.पी.पावर मैनेजमेंट कंपनी (आर.एम.) कार्यालय को भोपाल स्थानांतरित किये जाने,
- (27) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सदस्य की जावरा वि.स. क्षेत्र में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं विभिन्न ग्रामों के उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन न होने,
- (28) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की सहायक शिक्षक/शिक्षक के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति न मिला पाना ।
- (29) श्री मुरली मोरवाल, सदस्य की बडनगर जिला उज्जैन स्थित संगम चौराहा से खोब दरवाजा मार्ग का कार्य पूर्ण कराये जाने,
- (30) श्री संजय शुक्ला, सदस्य की इंदौर शहर में मास्टर प्लान में प्रस्तावित सुभाष मार्ग से चौकी पलटन तक सड़क की चौड़ाई 30 मीटर किये जाने,
- (31) श्री आलोक चतुर्वेदी, सदस्य की छतरपुर जिले में सड़कों का निर्माण कार्य न किये जाने,
- (32) श्री संजीव सिंह, सदस्य की भोपाल बीज निगम द्वारा कीडे लगे चने का बीज प्रदाय किये जाने,
- (33) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी, सदस्य की दमोह जिले के गडिया मानगढ़ से सलैया सड़क का निर्माण न किये जाने तथा
- (34) श्री शरद जुगलाल कौल, सदस्य की ब्यौहारी क्षेत्र के निपनिया में महाविद्यालय न खाले जाने संबंधी सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढी हुई मानी गईं.

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री रामखेलावन पटेल, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण ने मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2020-21 पटल पर रखा.

7. समितियों का निर्वाचन

(1) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए नाम वापसी के पश्चात् केवल 11 उम्मीदवार शेष हैं. चूंकि इस समिति के लिए केवल 11 सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं. अतः मैं, वित्तीय वर्ष 2021-2022 की अवधि में सेवा करने के लिए, निम्नलिखित सदस्यों को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया.

- (1) श्री जयसिंह मरावी
- (2) श्रीमती सुलोचना रावत
- (3) श्री फुन्देलाल सिंह मार्को
- (4) इंजी. प्रदीप लारिया
- (5) श्री मेवाराम जाटव
- (6) श्री मनोज चावला
- (7) डॉ. अशोक मर्सकोले
- (8) श्री कमलेश जाटव
- (9) श्री दिलीप मकवाना
- (10) डॉ. योगेश पण्डाग्रे
- (11) डॉ. हिरालाल अलावा

इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

(2) पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए 11 सदस्यों का निर्वाचन.

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए नाम वापसी के पश्चात् केवल 11 उम्मीदवार शेष हैं. चूंकि इस समिति के लिए केवल 11 सदस्य ही निर्वाचित किए जाने हैं. अतः मैं, वित्तीय वर्ष 2021-2022 की अवधि में सेवा करने के लिए, निम्नलिखित सदस्यों को पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया.

- (1) श्री जालम सिंह पटेल
- (2) श्री बहादुर सिंह चौहान
- (3) श्री कमलेश्वर पटेल
- (4) श्री दिनेश राय
- (5) श्री बैजनाथ कुशवाहा
- (6) श्री सुनील सराफ
- (7) श्रीमती कृष्णा गौर
- (8) श्री प्रदीप पटेल
- (9) श्री मनोज नारायण सिंह चौधरी
- (10) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा
- (11) श्रीमती सुनीता पटेल

श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य को इस समिति का सभापति नियुक्त किया गया.

8. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में सम्मिलित निम्नलिखित माननीय सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा उनके संबंध में संबंधित माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य सदन के पटल पर रखे हुए माने जाएंगे. तदनुसार -

- (1) श्री हर्ष यादव, सदस्य की रीवा के टी.आर.एस. महाविद्यालय में नियम विरुद्ध प्राचार्य का प्रभार दिये जाने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य,
- (2) श्री शरदेन्दु तिवारी, सदस्य की सीधी जिले के चुरहट से मोहनिया मार्ग का निर्माण न किये जाने संबंधी सूचना तथा लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य,
- (3) सर्वश्री श्यामलाल द्विवेदी तथा आशीष गोविंद शर्मा, सदस्यगण की रीवा जिले के संस्कृत विद्यालयों के परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री स्कूल शिक्षा का वक्तव्य,
- (4) श्री तरबर सिंह, सदस्य की बण्डा क्षेत्र में वृहद बांध परियोजना हेतु अधिग्रहित भूमि का सही मुआवजा न दिये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य,
- (5) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में अनियमितता संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य,
- (6) श्री रामपाल सिंह, सदस्य की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत रायसेन जिले में आवास स्वीकृत नहीं किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य,
- (7) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य की इटारसी स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय में आवश्यक उपकरण व सामग्री की पूर्ति न होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य,
- (8) डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री आरिफ अक्रील, सदस्यगण की भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आगजनी की घटना की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का वक्तव्य,
- (9) श्री बहादुर सिंह चौहान, सदस्य की महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में उद्योग लगाने की प्रक्रिया धीमी गति से होने की ओर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री का वक्तव्य,
- (10) सर्वश्री जितू पटवारी, कुणाल चौधरी तथा विपिन वानखेड़े, सदस्यगण द्वारा लगाये गये प्रश्नों का जवाब समय पर न दिये जाने की ओर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य,
- (11) श्री आशीष गोविंद शर्मा, सदस्य की देवास जिले में ज्वार की खरीदी समर्थन मूल्य पर न किये जाने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य,
- (12) श्री संजय यादव, सदस्य की जबलपुर जिले के बरगी विधानसभा क्षेत्र के चरगवां में घोषणा के बाद भी महाविद्यालय न खोले जाने संबंधी सूचना तथा उच्च शिक्षा मंत्री का वक्तव्य,

(13) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य की डिण्डोरी एवं मण्डला जिले में गंदे नालों का पानी नर्मदा नदी में मिलने से नर्मदा नदी के प्रदूषित होने संबंधी सूचना तथा पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य,

(14) श्री सुनील सराफ, सदस्य की अनूपपुर जिले में फलोद्यान योजना की अनुदान राशि में अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण का वक्तव्य,

(15) श्री शैलेन्द्र जैन, सदस्य की सागर जिले के सेंट फ्रांसिस सेवाधाम संस्था द्वारा बच्चों को प्रताड़ित किये जाने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य,

(16) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य की प्रदेश में कम क्षमता के विद्युत ट्रांसफार्मर लगाये जाने संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य,

(17) डॉ. अशोक मर्सकोले, सदस्य की मण्डला जिले की सहकारी समितियों में रखा धान सड़ने संबंधी सूचना तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का वक्तव्य,

(18) सर्वश्री प्रियव्रत सिंह, जयवर्द्धन सिंह तथा रामचन्द्र दांगी, सदस्यगण की प्रदेश के अनेक जिलों में सौभाग्य योजना के तहत किये जा रहे कार्यों में अनियमितता संबंधी सूचना तथा ऊर्जा मंत्री का वक्तव्य,

(19) श्रीमती कृष्णा गौर, सदस्य की भोपाल नगर निगम वार्ड 61 खजूरी कलां में मेसर्स श्रीराम कंस्ट्रक्शन द्वारा अनियमितता किये जाने संबंधी सूचना तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का वक्तव्य,

(20) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य की रायसेन जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सामग्री क्रय में अनियमितता संबंधी सूचना तथा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य,

(21) श्री हर्ष विजय गेहलोत, सदस्य की रतलाम में शासन द्वारा आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण संबंधी सूचना तथा जनजातीय कार्य मंत्री का वक्तव्य,
पढे हुए माने गए.

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

अध्यक्ष महोदय ने निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 142 सांची (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, डॉ. प्रभुराम चौधरी एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 82-धौहनी (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री कुंवर सिंह टेकाम को विधान सभा के दिसम्बर, 2021 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की.

10. प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय, सभापति ने मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम-228 के अंतर्गत प्रस्ताव किया कि -

“विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु वृद्धि की जाए.”.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई :-

- (1) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल (जिला-रायसेन)
- (2) डॉ. सतीश सिकरवार (जिला-ग्वालियर शहर)
- (3) श्री संजय यादव (जिला-जबलपुर)
- (4) श्री रामपाल सिंह (जिला-रायसेन)
- (5) श्री संजय शर्मा (जिला-नरसिंहपुर)
- (6) श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (जिला-कटनी)
- (7) श्री पी.सी. शर्मा (जिला-भोपाल शहर)
- (8) श्री राजेश कुमार प्रजापति (जिला-छतरपुर)
- (9) श्री हर्ष यादव (जिला-सागर)
- (10) श्री प्रताप ग्रेवाल (जिला-धार)
- (11) श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी (जिला-खरगोन)
- (12) श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी (जिला-दमोह)
- (13) श्री सूबेदार सिंह सिकरवार रजौधा (जिला-मुरैना)
- (14) श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव (जिला-विदिशा)
- (15) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय (जिला-रतलाम)

- (16) श्री सुरेश राजे (जिला-ग्वालियर)
- (17) श्री मनोज चावला (जिला-रतलाम)
- (18) श्री प्रहलाद लोधी (जिला-पन्ना)
- (19) श्रीमती सुलोचना रावत (जिला-अलीराजपुर)
- (20) श्री दिलीप सिंह गुर्जर (जिला-उज्जैन)
- (21) श्री ग्यारसीलाल रावत (जिला-बड़वानी)
- (22) श्री पुरुषोत्तमलाल तंतुवाय (जिला-दमोह)
- (23) श्री प्रणय प्रभात पांडे (जिला-कटनी)
- (24) श्री जालम सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
- (25) सुश्री चंद्रभागा किराड़े (जिला-बड़वानी)
- (26) श्री तरवर सिंह (जिला-सागर)
- (27) श्री रामचन्द्र दांगी (जिला-राजगढ़)
- (28) श्री राज्यवर्धन सिंह (जिला-राजगढ़)
- (29) श्री राकेश मावई (जिला-मुरैना)
- (30) श्री बहादुर सिंह चौहान (जिला-उज्जैन)
- (31) श्री उमाकांत शर्मा (जिला-विदिशा)
- (32) श्री सुनील सराफ (जिला-अनूपपुर)
- (33) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल (जिला-बालाघाट)
- (34) श्री दिलीप सिंह परिहार (जिला-नीमच)
- (35) श्री हर्ष विजय गेहलोत (जिला-रतलाम)
- (36) श्री सोहनलाल बाल्मीक (जिला-छिन्दवाड़ा)
- (37) श्री शरदेन्दु तिवारी (जिला-सीधी)
- (38) श्री देवीलाल धाकड़ (जिला-मंसौर)
- (39) श्रीमती मनीषा सिंह (जिला-शहडोल)
- (40) श्री राकेश गिरि (जिला-टीकमगढ़ नगर)
- (41) श्री विक्रम सिंह राणा (जिला-आगर-मालवा)
- (42) श्री रवि रमेशचंद्र जोशी (जिला-खरगोन)
- (43) श्री देवेन्द्र वर्मा (जिला-खण्डवा)
- (44) श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-मण्डला)
- (45) श्री महेश परमार (जिला-उज्जैन)

12. विशेषाधिकार के संबंध में नियम 169 के अंतर्गत सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि – “डॉ. सीतासरन शर्मा द्वारा श्री हरेन्द्र नारायण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, इटारसी के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं को विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु सौंपा गया है”.

(इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा गर्भगृह से लगातार नारे बाजी के मध्य सदन की कार्यवाही निरंतर जारी रही)

13. शासकीय विधि विषयक कार्य.

(1) डॉ. कुँवर विजय शाह, वन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 29 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

खण्ड 2 इस विधेयक के अंग बने.

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

डॉ. कुँवर विजय शाह ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 29 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

(2) श्री ओमप्रकाश सखलेचा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 31 सन् 2021) पर विचार किया जाय.

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
खण्ड 2 इस विधेयक के अंग बने.
खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना.
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने.

श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने प्रस्ताव किया कि ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 31 सन् 2021) पारित किया जाए.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.
विधेयक पारित हुआ.

14. अध्यक्षीय घोषणा

अशासकीय संकल्प आगामी सत्र में लिये जाना

अध्यक्ष महोदय ने सदन की सहमति से सदन को अवगत कराया कि आज की कार्यसूची में उल्लिखित माननीय सदस्यों के निम्नलिखित 4 अशासकीय संकल्प आगामी सत्र में लिये जायेंगे -

(1) श्री विक्रम सिंह, सदस्य का संकल्प “यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि सतना जिले के रामपुर बघेलान विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बगहाई रोड रेल्वे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर रामपुर बघेलान किया जाये.”.

(2) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य का संकल्प “सदन का यह मत है कि राजस्व, पुलिस तंत्र, दीवानी, न्यायिक, फौजदारी प्रक्रियाओं में प्रचलित शासकीय शब्दावली में विद्यमान अरबी / फारसी शब्दों को पृथक कर उनके स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग किया जाये.”.

(3) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य का संकल्प “सदन का यह मत है कि 1 नवम्बर, 2000 को मध्यप्रदेश से पृथक होकर छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के दौरान राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) में प्रदेश के पेंशनरों को डी.ए. एवं अन्य सुविधाओं के लिये छत्तीसगढ़ राज्य की अनुमति लेना आवश्यक किया गया था जो राज्य पुनर्गठन के 20 वर्ष होने के पश्चात् भी अनिवार्य है जिससे राज्य के पेंशनरों को डी.ए. एवं अन्य सुविधाओं के लिये प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्र निर्णय नहीं लिया जा सकता है इसलिये पेंशनरों को लाभ देने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुये उक्त धारा को विलोपित किया जाये.”.

(4) श्री दिव्यराज सिंह, सदस्य का संकल्प “सदन का यह मत है कि रीवा जिले में कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेन्टर की स्थापना की जाये.”.

15. राष्ट्रगान “जन गण मन” का समूहगान

सदन में माननीय सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया.

16. सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा अपराह्न 12.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक: 24 दिसम्बर, 2021.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.